I. T. BRANCH
Revenue Department
Diary 1/35

# GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI REVENUE DEPARMENT: DELHI (GENERAL ADMINISTRATION BRANCH) 5, SHAM NATH MARG, DELHI

F.2(3)/GA/DC/Misc.File/2017/PF 26/6

Date: 21/12/2017

To

The Sub-Divisional Magistrate(HQ), O/o the Deputy Commissioner(Revenue), All Districts, Govt. of NCT of Delhi.

Sub:- Regarding appointment of Government Counsel in the High Court of Delhi.

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of notification dated 11/12/17 regarding appointment of Government counsel in the High Court of Delhi received from Deputy Secretary (Services), GNCTD, New Delhi for your information and necessary action.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(MAHESH CHANDRA SHARMA) SECTION OFFICER (GA)

F.2(3)/GA/DC/Misc.File/2017/PF 26)6

Date: 21/12/2017

Copy to:-

1. All Branch In-Charges. (HQ)

(MAHESH CHANDRA SHARMA) SECTION OFFICER (GA)

Λ.

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

SERVICES DEPARTMENT



## Notification

Date: 11/12/2017

No.F.20/13/2017/S-1/13/126-3734 In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Smt. Avnish Ahlawat as Standing Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

The appointment of Smt. Avnish Ahlawat as Standing Counsel is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5/10/91-Lit./1345 dated 26th February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs. Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to

By order and in the name of

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SDM (HQ-VI)

Diary No. 2073

Date 15/12/12 Deputy Secretary (Services)

(D. Karthikeyan)

Date: 11/12/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/ 37 26 - 3734

1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.

2. The Special Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.

3. The Staff Officer to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.

4. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.

5. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.

6. The Registrar General, Hon'ble High Court, New Delhi.

7. The Addl. Secretary (GAD/Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi with the request to publish and forward 10 copies of the Gazette Notification to

## (दिल्ली राजपत्र भाग — 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सेवाएं विभाग

## अधिसूचना

दिनांकः ।। । । २ । २० । 7

सं0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3726-3734 इस संबंध में जारी पूववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शिवतयों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शिवतयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये श्रीमती अनवीश अहलावत को स्थायी काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिये सरकार द्वारा शुरू किया जा चुका है। जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिये सरकार वर्ष की अविध के लिये किया गया है।

स्थायी काउंसिल के रूप में श्रीमती अवनीश अहलावत की नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय—समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं0 फा0 5(10)/91/वि0/1345 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> (डी० कार्तिकेयन ) उप-सचिव (सेवाएँ) दिनांक: 11/12/2017

सं0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/37 26-373 4

1. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

2. मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

3. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

4. समस्त प्रधान सचिवों / सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

5. लेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

6. महापंजीयक, माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

7. अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग / समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ। कृपया कार्यालय प्रयोग के लिए राजपत्र की 10 प्रतियां इस विभाग में भिजवाएं।

8. श्रीमती अवनीश अहलावत, स्थायी काउंसिल।

९ समस्त पैनल अधिवक्ता।

10. गार्ड फाईल।

ी। (१२)। १ (डी० कार्तिकेयन ) उप—सचिव (सेवाएँ)

# GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI SERVICES DEPARTMENT

#### Notification

Date: 11/12/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/37.35...37.95. In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Additional Standing Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

- 1. Sh. Yeeshu jain
- 2. Dr. Zoheb Hossain

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5/10/91-Lit./1345 dated 26<sup>th</sup> February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

By order and in the name of

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi.

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)
Date: 11/12/2017

#### No.F.20/13/2017/S-I/Lit/ 3735-3745

- 1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 2. The Special Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 3. The Staff Officer to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Régistrar General, Hon'ble High Court, New Delhi.
- 7. The Addl. Secretary (GAD/Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi with the request to publish and forward 10 copies of the Gazette Notification to this Department.
- 8. Smt. Avnish Ahlawat, Standing Counsel.
- 9. Sh. Yeeshu jain, Additional Standing Counsel.
- 10. Sh. Zoheb Hossain, Additional Standing Counsel.
- 11. All Panel Advocates.
- 12 Guard File

## (दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सेवाएं विभाग

## अधिसूचना

दिनांकः 11/12/2017

सं0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3735-374.5 इस संबंध में जारी पूववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संबंध में उन्हेंय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये एलपीए, अोए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये निम्नलिखित अधिववताओं को अपर स्थायी काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्श की अविध के लिये किया गया है।

1. श्री यीशु जैन 2. डॉo जोहेब हुसैन

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय—समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं0 फा0 5(10)/91/वि0/1345 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> (डीo कार्तिकेयन ) उप–सचिव (सेवाएँ)

सं0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3735-3745.

विनांकः 11 | 12 | 17

1. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

2. मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

3. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

4. समस्त प्रधान सचिवों / सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

5. लेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

महापंजीयक, माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
 अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग/समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सचिवालय, नई

 अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विमाग/समन्वय), राष्ट्राय राजवाना वात्र, प्रवरता सामान्य, प्र दिल्ली को दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ। कृपया कार्यालय प्रयोग के लिए राजपत्र की 10 प्रतियां इस विभाग में भिजवाएं।

श्रीमती अवनीश अहलावत, स्थायी काउंसिल।

9. श्री यीशु जैन, अपर स्थायी काउंसिल।

10. श्री जोहेब हुसैन, अपर स्थायी काउंसिल।

11. समस्त पैनल अधिवक्ता।

12. गार्ड फाईल।

(डीo कार्तिकयनं ) उप-सचिव (सेवाएँ)

# GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI SERVICES DEPARTMENT

#### Notification

Date: 11/12/2017.

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/37.9.6.-375.9 In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Panel Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

- 1. Ms. Mini Pushkarna
- 2. Mrs. Vibha Mahajan Seth
- 3. Sh. Subrahmanyam BKV
- 4. Smt. Rashmi Chopra
- 5. Sh. Gaurav Dhingra
- 6. Sh. Naushad Ahmed Khan
- 7. Sh. V. Balaji
- 8. Ms. Ruchira Gupta
- 9. Ms. Latika Choudhury
- 10. Smt. Rachana Srivastava
- 11. Sh. Sujeet Kumar Mishra

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5(2)/07/Lit./303-310 dated 18<sup>th</sup> March 2008 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

By order and in the name of

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)
Date: 11/12/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/ 3746 - 3754

- 1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- The Special Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 3. The Staff Officer to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Registrar General, High Court, New Delhi.
- 7. The Addl. Secretary (GAD/Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi with the request to publish and forward 10 copies of the Gazette Notification to this Department.

ting Department

PRINTED STREET, THE PRINT OF THE DESIGN CARES STREET, 11. 15年中,宋明中国开发上新国和A型 17. 40日末广东。 (दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सेवाएं विभाग अधिस्चना

दिनांकः ।। (12/2017

सं0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3746-3754 इस संबंध में जारी पूववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरूद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये निम्नलिखित अधिववताओं को पैनल काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये किया गया है।

- सुश्री मिनी पुष्करणा 1.
- श्रीमती विभा महाजन सेट 2.
- श्री सुब्रमनियम बीकेवी 3.
- श्रीमती रिश्मी चोपड़ा 4.
- श्री गौरव ढींगरा 5.
- श्री नौशाद अहमद खान 6.
- श्री वी. बालाजी 7.
- सश्री रुचिरा गुप्ता 8.
- सुश्री लतिका चौधरी
- श्रीमती रचना श्रीवास्तव 10.
- श्री सुजीत कुमार मिश्र 11.

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय-समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 18 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं० फा० 5(2) / 07 / वि0 / 303-310 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> (डी० कार्तिकेयन ) उप-सचिव (सेवाएँ)

दिनांकः 11/12/17

सं0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3746-3754

1. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

2. मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

- 3. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 4. समस्त प्रधान सचिवों / सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- लेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 6. महापंजीयक, माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
- अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग/समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ। कृपया कार्यालय प्रयोग के लिए राजपत्र की 10 प्रतियां इस विभाग में भिजवाएं।
- श्रीमती अवनीश अहलावत, स्थायी काउंसिल।
- समस्त पैनल अधिवक्ता।
- 10. गार्ड फाईल।

## GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI SERVICES DEPARTMENT

#### Notification

Date: 11/12/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/37.55-3763In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. R. N. Singh as Standing Counsel for Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5/10/91-Lit./1345 dated 26<sup>th</sup> February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

By order and in the name of

Date: 11/12/2017-

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/3755-3763

- 1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 2. The Special Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 3. The Staff Officer to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Registrar General, Principal Branch CAT.
- 7. The Addl. Secretary (GAD/Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi with the request to publish and forward 10 copies of the Gazette Notification to this Department.
- 8. Sh. R. N. Singh, Standing Counsel.
- 9. All Panel Advocates.
- 10. Guard File.

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)

गिमिही शिहिष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (दिल्ली राजापत्र भाग - ६ असाधारण में प्रकाशनाथी)

THE THE THE PROPERTY OF !

अहिस्चना

AND MARKET STORY

राज्यांकः ।। । । ज्ञान्यः

सिबब्यूपी, सीसीपी, आरप्रफुष् तथा एलपीए, ओप्, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संस्कार,तथा राग भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, क छिनाकश्चार कार्ज पष्ट्रीय प्राथित क्षेत्र के प्रकार के प्रकार किन्छी होड़ निवायण प्राप्ट्रिया कार्यायक क किल्ही हिंह मिनाअणार प्रद्विप यह किल्हा मार्था का प्रथम केल्ला है। प्रदेश राजधान है। के अधिकमण में तथा सिवित प्रक्रिया सिविता (1908 का ह) की धारा 2 की चपधारा (र) द्वारा प्रदेत् थावितयों 

15 एम एकी र्रकी के अधिष्ट कि केंग्र के छोती कि नित्र गिए के निष्ठभी के छड़ में मंग्रार आगिर किन्यी है हैं एक त्रमुसि में पूल के लिसीया कि एक कि आप. एन सिंह को प्रमाधाक करा

। मिर्ग आभून्छ क नियंत्रनि वर्ग तिष्ट उड़िकान्स्राध्य में ३४६१ \०० \१७ \(01) है । एते ११० ति ५६१ , १९६७ के फिली के एएकाश्वामार कि मिली के एक कि १६० प्राप्तां के विष् जिलायी क्रिया होते हिल्ली संस्कृत सम्मान सिक्स हैंग प्राप्त , अहि , कि हिम । ई प्राप्त पर प्रमाप है । कि हिम कि ए हैं प्राप्त कि हिम कि हिम कि

प्रम मान कन्छ और छ मान पर, शब्हीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

(ग्राघम) वनीम-मर्घ ( नग्रकिताक (कि) -Filestin

1941as: 11/15/17

। प्राक्तप्र किन्ने हिन निर्मायकार प्रद्भिय , क्रिक्स के निर्मायकार कि せ0年10 20/13/2017/4H-1/4M3H441/3子55-3子63

। गक्रम किन्ने हिन्न मिनिया प्रद्विप प्रमित क्रम , रिकिशीपिक विश्वी । प्राकप्रम किंग्डी हिंह निायणार प्रस्थिए क्विम प्रविद्धा कि हिनास्वर्म

। प्राकप्रम किन्नी हिंदी क्लियार प्रज्ञिष , इन्हीम र किनी माअर क्रमम्

। मक्ष्रम् किन्दी हिंद नियम् प्राप्ता प्रहित किन्

अपर सिहेव (सामान्य प्रशासन विमाग/समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली साधवालय, नुई दिल्ली महापयीयक, माननीय उच्च न्यायालय, नह दिल्ली।

01 कि हमारा गृष्ठी क गिप्रप्र प्राचीयक । प्रमुख । विनाशिकप्र में गण्डाधास्त्र १—। गाम हमाराष्ट्र किन्नी कि

। जिल्ला का होते, एका थि । । ग्राम्भि में गामि एड़ ग्रिप्त

। जिड़ाक ड्या १०। समस्य प्रेनल अहितस्या।

(ग्राव्ध) वसीम-प्रक ( **৮**৫কিচ্যাক *0*ঠি)

#### (TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI SERVICES DEPARTMENT

#### **Notification**

Date: 11/12/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/2763-3776 In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Additional Standing Counsel for the Hon ble Central Administrative Tribunal. Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s). whose defence has been undertaken by it initially for a period of one-year from the date of this notification.

- 1. Sh. H. A. Khan
- 2. Mrs. Esha Mazumdar
- 3. Sh. Amit Sharma
- 4. Mrs. Harvinder Oberoi

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5/10/91-Lit./1345 dated 26th February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

By order and in the name of

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi.

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)

Date: 11/12/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Liv 3764 - 3776

- 1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 2. The Special Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 3. The Staff Officer to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi, 🗇
- 6. The Registrar General, Principal Branch CAT.
- 7. The Addl. Secretary (GAD/Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi with the request to publish and forward 10 copies of the Gazette Notification to this Department.
- 8. Sh. Sh. R. N. Singh, Standing Counsel.
- 9. Sh. H. A. Khan, Additional Standing Counsel.

## (दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण म प्रकाशनाथ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली सरकार सेवाएं विभाग

#### अधिस्चना .

· दिनांकः

संवफा० 20 / 13 / 2017 / एस-1. / एलआईटी / 3764-3716 इस संबंध में जारी पूववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में लथा सिविल प्रक्रिया, संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रवत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली चच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अपर स्थायी काउंसिल के रूप में नियुवत करते हैं, जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये किया गया है।

- 1. श्री एच.ए. खान
- श्रीमती ईशा मजुमदारं
- 3. श्री अभित शर्मा
- श्रीगती हरिवन्द्र ओबराय

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय-समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं0 फा0 5(10)/91/वि0/1345 में यथाअन्तर्विश्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> (डी० कार्तिकेयन उप-सचिव (सेवाएँ) दिनांकः ।। । । 2 2 0 7

पंतपात २०/१७/२०१७/एस-१/एलआईटी/ ३७४५ - ३ ७७ ६

- उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली सरकार।
- मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- विशेष काराधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- समस्त प्रधान सचिवों रसचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- लेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- महापंजीयक, भाननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
- अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग / समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपन्न भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ। कृपया कार्यालय प्रयोग के लिए राजपन्न की 10 - प्रतियां इस विभाग में भिजवाए।
- श्री आर. एन. सिंह, स्थायी काउंतिल।
- श्री एच.ए. खान, अपर स्थायी काउंसिल
- 10. श्रीमती ईशा मजुमदार, अपर स्थायी काउंसिल ।
- 11. श्री अमित शर्मा, अपर स्थायी, काउंसिल ।
- 12. श्रीमती हरशिन्द्र ओबराय , अपर स्थायी काउंसिल ।
- 13. समस्त पैनल अधिवक्ता।
- 14. गार्ड फाईल।

उप-सचिव (सेवाएँ)

# GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI SERVICES DEPARTMENT

#### Notification

Date: 11/12/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/3777-2785 In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Panel Counsel for Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

- 1. Sh. Hari Datt Sharma
- 2. Ms. Priyanka Mitra Bhardwaj
- 3. Sh. Pradeep Kumar
- 4. Sh. Pratap Shanker
- 5. Sh. Mananjay Kumar Mishra
- Sh. Vikrant Narayan Vasudeva
- 7. Sh. Awanish Kumar
- 8. Sh. Jagdish N
- 9. Sh. Surya Nath Pandey
- 10. Sh. Amit Yadav
- 11. Ms. Pratima K. Gupta
- 12. Sh. Kapil Agnihotri
- 13. Sh. Saurabh Chadda
- 14 Sh. Girish Chandra Jha
- 15. Sh. Sameer Sharma
- 16. Sh. Ujiwal Kumar Jha
- 17. Ms. Sarita Aggarwal
- 18. Sh. Amit Anand
- 19. Ms. Deepika
- 20. Sh. Anuj Kumar Sharma
- 21. Ms. Purnima Maheshwari
- 22. Sh. Swetank Shantanu
- 23 Sh. Atul Kumar
- 24. Sh. Siddharth Panda
- 25. Sh. Rajneesh Kumar Sharma

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5(2)/07/Lit./303-310 dated 18<sup>th</sup> March 2008 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

- Date: 11/12/2017
- 1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 2. The Special Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 3. The Staff Officer to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Registrar General, Principal Branch CAT.
- 7. The Addl. Secretary (GAD/Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi with the request to publish and forward 10 copies of the Gazette Notification to this Department.
- 8. Sh. R. N. Singh, Standing Counsel
- 9. All Panel Advocates.
- 10. Guard File.

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)

#### (दिल्ली राजपत्र भाग — 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सेवाएं विभाग

## अधिसूचना

दिनांक: 11/12/2017

सं0फा0 20/13/2017/एस—1/एलआईटी/३७७७-३७८५ इस संबंध में जारी पूववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शिवतयों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शिवतयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरूद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अपर पैनल काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिये किया गया है।

- 1. श्री हरि दत्त शर्मा
- 2. सुश्री प्रियंका मित्रा भारद्वाज
- 3. श्री प्रदीप कुमार
- 4. श्री प्रताप शंकर
- श्री मनंजय कुमार मिश्र
- श्री विक्रान्त नारायण वसुदेव
- 7. श्री अवनीश कुमार
- 8. श्री जगदीश एन
- 9. श्री सूर्य नाथ पाण्डेय
- 10. श्री अमित यादव
- 11. सुश्री प्रतिमा के.गुप्ता
- 12. श्री कपिल अग्निहोत्री
- 13. श्री सौरभ चड्डा
- 14. श्री गिरीश चन्द्र झा
- 15. श्री समीर शर्मा
- 16. श्री उज्जावल कुमार झा
- 17. सुश्री सरिता अग्रवाल
- 18. श्री अमित आनंद
- 19. सुश्री दीपिका
- 20. श्री अनुज कुमार शर्मा
- 21. सुश्री पूर्णिमा माहेश्वरी
- 22. श्री श्वेतांक शान्तनु
- 23. श्री अतुल कुमार
- 24. श्री सिद्धार्थ पांडा25. श्री रजनीश कुमार शर्मा

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय—समय पंर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 18 मार्च, 2008 की अधिसूचना संठ फाठ 5(2)/02/वि0/303—310 में यथाअन्तर्विश्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

दिनांकः ।।)।2/2017 .

सं0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/ ७२२२ - उ२ ८ ९

उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

समस्त प्रधान सचिवों / सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

5. लेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

महापंजीयक, माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

- 7. अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग / समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ। कृपया कार्यालय प्रयोग के लिए राजपत्र की 10 प्रतियां इस विभाग में भिजवाएं।
- श्री आर0एन0 सिंह, स्थायी काउंसिल
- 9. समस्त पैनल अधिवक्ता।
- 10. गार्ड फाईल।

(डी० कार्तिकेयन ) उप-सचिव (सेवाएँ)

S1) M-5 4 6